झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 36 राँची, बुधवार **1** माघ, 1936 (श०) **21** जनवरी, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

16 जनवरी, 2015

संख्या-5/आरोप-1-401/2014 का॰- 396 -- 1. उप विकास आयुक्त, गढ़वा के पत्रांक-463/मनरेगा, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा के आदेश ज्ञापांक 196, दिनांक 22 फरवरी, 2007

2. अनुमण्डल कार्यालय, जामताड़ा के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 322/सा0, दिनांक 05 जून, 2013

3. अंचल कार्यालय, नारायणपुर का पत्रांक 197, दिनांक 13 जून, 2013 एवं पत्रांक 447, दिनांक 07 दिसम्बर, 2013

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का विभागीय पत्रांक-3561, दिनांक 27 अप्रैल, 2013

श्री मिथिलेश प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-177/03, गृह जिला- नालन्दा), के विरूद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमना, गढ़वा के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित उप विकास आयुक्त, गढ़वा के पत्रांक- 463/मनरेगा, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' में प्राप्त है । श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा के आदेश ज्ञापांक 196, दिनांक 22 फरवरी, 2007 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के खाता संख्या 220, प्लाट संख्या 1284 में तालाब निर्माण (200'×150'×15' व्यास) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 3.554 लाख रूपये की प्रदान की गई। स्वीकृति प्रदत्त स्थल की योजना पर कार्य नहीं कराकर इसके विपरीत बिना स्वीकृति प्रदत्त स्थल पर तालाब निर्माण की योजना ग्राम पंचायत-सिलीदाग, ग्राम-सिलीदाग के खाता संख्या 147, प्लाट संख्या 131 पर योजना का कार्यान्वयन, सरकारी राशि का गबन करने की मंशा से कराया गया । फलस्वरूप सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ है ।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अन्तर्गत प्रखण्ड रमना, ग्रामपंचायत रमना के ग्राम रमना में खाता संख्या 220, प्लाट संख्या 1284 में तालाब निर्माण (200'×150'×15' व्यास) की योजना संख्या 1/2007-08 में आपके द्वारा योजना में बिना कार्य कराए एवं कार्य की मापी प्राप्त किए ही 3 किश्तों में क्रमशः दिनांक 12 अप्रैल, 2007 को 7,500 रूपये, दिनांक 29 मई, 2007 को 1,00,000 एवं दिनांक 08 जून, 2007 को 1,00,000 रूपये कुल 2,07,500 रूपये अग्रिम के रूप में लाभुक समिति के अध्यक्ष, सचिव को भुगतान किया गया, परन्तु भुगतान की गई अग्रिम के विरूद्ध योजना में कोई कार्य नहीं कराया गया। बिना कार्य कराये तथा बिना कार्य का मूल्यांकन किए लाभुक समिति के अध्यक्ष, सचिव को 3 किश्तों में कुल 2,07,500 रूपये का अग्रिम देना दर्शाता है कि आप सरकारी राशि के सदुपयोग के प्रति पूर्णतः उदासीन है तथा लाभुक समिति के अध्यक्ष, सचिव के साथ सरकारी राशि को

गबन करने की मंशा से आपके द्वारा यह अनियमितता बरती गयी है। आपके द्वारा बरती गयी इस अनियमितता के कारण सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ है ।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अन्तर्गत ग्रामपंचायत रमना के ग्राम रमना में खाता संख्या 220, प्लाट संख्या 1284 में तालाब निर्माण (200‘×150‘×15‘ व्यास) की योजना संख्या 1/2007-08 में नरेगा के प्रावधान एवं मापदंडों की अनदेखी कर फर्जी मस्टर रोल के माध्यम से लाभुक समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं पंचायत सेवक द्वारा मजदूरी का भुगतान दिखलाकर सरकारी राशि का गबन किया गया है । आपके द्वारा मस्टर रोल का सही ढंग से संधारण एवं अनुश्रवण नहीं किए जाने के फलस्वरूप फर्जी मस्टर रोल के माध्यम से सरकारी राशि का गबन हुआ है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-8925, दिनांक 31 जुलाई, 2012 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, को संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया गया ।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-29, दिनांक 11 फरवरी, 2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है । श्री प्रसाद के विरूद्ध प्राप्त आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से पाँच वर्षों तक पाँच प्रतिशत राशि की कटौती करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया । तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-3561, दिनांक 27 अप्रैल, 2013 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा इन्हें स्मारित भी किया गया ।

श्री प्रसाद द्वारा अपने पत्र, दिनांक 02 मार्च, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे कि प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके । श्री प्रसाद अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों को निराधार एवं असत्य प्रमाणित करने में असफल रहे हैं । श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से पाँच वर्षों तक पाँच प्रतिशत राशि की कटौती किये जाने का दण्ड उन पर अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया ।

पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के परन्तुक-(ग) के आलोक में विभागीय पत्रांक-8080, दिनांक 12 अगस्त, 2014 द्वारा सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से श्री प्रसाद के विरूद्ध

प्रस्तावित दण्ड अधिरोपित करने पर सहमति माँगी गयी । झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-3644, दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है ।

अतः श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से पाँच वर्षों तक पाँच प्रतिशत राशि की कटौती किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 36—50 ।